



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1939 (श10)

(सं0 पटना 823) पटना, शनिवार, 9 सितम्बर 2017

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर 2017

सं० बी1-3-49/2016- 44—चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ड) एवं खण्ड (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत बिहार विधान परिषद् के सदस्य सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के दिनांक 08.01.2016 के प्रभाव से निरर्हता से ग्रस्त होने के फलस्वरूप बिहार विधान परिषद् में रिक्त 1 (एक) स्थान को भरने के प्रयोजनार्थ मनोनयन किया जा चुका है।

इसलिए निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-बी1-3-49/2016-43 दिनांक 09 सितम्बर 2017 के क्रम में अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 74 के अनुसरण में बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत निम्नलिखित 1 (एक) सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है:-

क्रमांक	नाम	पता
1	पशुपति कुमार पारस	ग्राम+पो0-मंत्री जी का टोला (शहरबन्नी) थाना-अलौली, जिला-खगड़िया-848203 बिहार

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

अपर सचिव।

*The 9<sup>th</sup> September 2017*

No.-B1-3-49/2016-44—WHEREAS nomination by the Governor of Bihar has been made in pursuance of Sub-Clause (e) of Clause (3) and Clause (5) of Article 171 of the Constitution of India, for filling 1 (one) seat in Bihar Legislative Council against 1 (one) vacancy in Bihar Legislative Council, arising out of disqualification of nominated member by Governor of Bihar Samrat Chaudhary alias Rakesh Kumar on 06-01-2016.

THEREFORE, In pursuance of Notification No.- B1-3-49/2016-43 dated 9th September 2017, Now under section 74 of the Representation of people Act, 1951, the name of the following 1(One) member nominated by the Governor of Bihar are hereby notified for general information:-

Sl. No.	Name of Nominated Member	Address
1	Pashupati Kumar Paras	Vill+P.O.- Mantri Jee Ka Tola (Shaharbanni), P.S.- Alauli, District-Khagaria – 848203 Bihar

By order of the Governor of Bihar,

SOHAN KUMAR THAKUR,

*Additional Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण)823-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1939 (श10)  
(सं0 पटना 822) पटना, शनिवार, 9 सितम्बर 2017

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

9 सितम्बर 2017

सं0 बी1-3-49/2016-43—संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ड) एवं खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल द्वारा मनोनीत बिहार विधान परिषद् के सदस्य सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार के दिनांक 06.01.2016 के प्रभाव से निरहता से ग्रस्त होने के फलस्वरूप बिहार विधान परिषद् में रिक्त 1 (एक) स्थान को भरने के लिए महामहिम राज्यपाल निम्नलिखित एक व्यक्ति को बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं :-

क्रमांक	मनोनीत सदस्य का नाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	पशुपति कुमार पारस	23.05.2020

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सोहन कुमार ठाकुर,  
सरकार के अपर सचिव।

The 9<sup>th</sup> September 2017

No.-B1-3-49/2016- 43—In exercise of power conferred by Sub-Clause (e) of Clause (3) and Clause (5) of Article 171 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to nominate following 1 (one) person in Bihar Legislative Council to fill 1(one) vacancy in Bihar Legislative

Council due to disqualification of nominated member Samrat Chaudhary alias Rakesh Kumar on 06-01-2016 :-

Sl. No.	Name of Nominated Member	Date of Retirement
1	Pashupati Kumar Paras	23-05-2020

By order of the Governor of Bihar,  
SOHAN KUMAR THAKUR,  
Additional Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 822-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>